6 एक्सप्रेस-वे ,5 शहरों में बनेंगे रिंग रोड

सदन में लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने दी जानकारी

मंत्री के जवाब के बाद विभाग की 12251 करोड़,54 लाख, 13 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. प्रदेश में एक- दो नहीं बल्कि पूरे 6 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है, वहीं प्रदेश के 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

यह जानकारी बुधवार को लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने दी. मंत्री के जवाब के बाद विभाग की 12251 करोड़, 54 लाख, 13 हजार रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में एनएचएआई के साथ एक लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया गया, जिसमें से 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है.

उन्होंने बताया कि वित्तीय संसाधनों की सीमा को देखते हुए विभाग एचएएम मॉडल के माध्यम से भी सड़कों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे गति, गुणवत्ता और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित होगा.मंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के विषय में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. जहां उत्कृष्ट कार्य होगा, वहां प्रोत्साहन मिलेगा और जहां लापरवाही होगी, वहां कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोक निर्माण विभाग भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता, तकनीक और गति के साथ कार्य कर मप्र को 2047 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा. मंत्री ने बताया कि विभाग ने सड़क श्रेणियों के व्यावहारिक असंतुलन को दूर करने हेतु रोड नेटवर्क का रैशनलाइजेशन करने का निर्णय लिया है.

औचक निरीक्षण प्रणाली

मंत्री ने बताया कि विभाग ने सॉफ्टवेयर आधारित औचक निरीक्षण प्रणाली लागू की है. पिछले 13 महीनों में 875 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया, दोषियों पर कार्रवाई की गई तथा 25 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया. वहीं, कार्यालयीन स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस 2.0 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से योजना, स्वीकृति, प्रगति, भुगतान और निगरानी की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है. चर्चा में 26 विधायकों ने हिस्सा लिया.

दिव्यांगजनों के लिए परीक्षण शिविर 28 को शुजालपुर में लगेगा

भोपाल, 25 फरवरी. दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय परीक्षण एवं परामर्श शिविर 28 फरवरी को प्रात: 10 बजे, जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर में आयोजित किया जा रहा है. यह शिविर मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल एवं समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (सी.आर.सी.), भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है. इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों की पहचान, परीक्षण तथा उन्हें आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करना है.

3 से 10 मिनट के भीतर पहुंचेंगे फायर फाइटर

नए फायर सेफ्टी एक्ट में होगा प्रावधान

जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. प्रदेश में अभी आग लगने की घटना के बाद फायर फाइटर को मौका स्थल पर पहुंचने में लगभग 15 से 30 मिनट का समय लग रहा है. इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में नया फायर सेफ्टी एक्ट बना रही है.

इस एक्ट में प्रावधान किया जाएगा कि दुर्घटना की सूचना मिलने के तीन से दस मिनट के भीतर फायर फाइटर घटना स्थान पर पहुंच जाए. यह बात बुधवार को सदन में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा सदस्य डॉ. अभिलाष पांडे के ध्यानाकर्षण के जवाब के दौरान कही. डॉ. पांडे ने प्रदेश के महानगरों और नगरों में व्यावसायिक परिसर से लेकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती आग लगने की घटनाओं का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी एक्ट के अभाव में इन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है. भवनों का फायर ऑडिट होने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इस पर जवाब देते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि फायर सेफ्टी एक्ट बनाने के लिए टीम लगी हुई है, अच्छा एक्ट बनाएंगे, दो-तीन माह में एक्ट बनाकर जनसुविधा के लिए लागू कर देंगे.

भाजपा सदस्य डॉ. पांडे का कहना था कि अभी फायर स्टेशन शहरों के सेंटर में बने हुए हैं. यहां से शहर से दूर के हिस्सों में पहुंचने के लिए 15 से 30 मिनट का समय लगता है. व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कम समय में फायर फाइटर घटना स्थल पर पहुंचें. इस पर मंत्री ने ये स्वीकार किया कि फायर फाइटर को पहुंचने में अभी समय लगता है. अधिकतम 10 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए. इसके लिए हम नए एक्ट में प्रावधान कर रहे हैं. हमें कुछ शहरों में तीन तो कुछ में पांच नए फायर स्टेशन बनाने पड़ेंगे, इसके लिए सबसे पहले जगह तलाशना पड़ेगा.

8वीं पास आदिवासी को जेसीबी, पोकलेन चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी

जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी, राज्य सरकार प्रदेश के आदिवासी युवा जो कि 8वीं तक पढ़े होंगे, उन्हें जेसीबी, पोकलेन चलाने की ट्रेनिंग देगी.

इसके लिए सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर खंडवा में खुलेगा, खंडवा के अलावा धार सहित जनजातीय जिले में सेंटर खोलेंगे. यहां ऐसे बच्चों को तीन-चार माह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वे भी इस 20-25 हजार रुपए प्रतिमाह कमा सके. यह जानकारी बुधवार को सदन में जनजातीय कार्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री कुंवर विजय शाह ने दी. मंत्री के जवाब के बाद विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों को पारित कर दिया गया. इस दौरान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों को भी साथ में ही पारित किया गया.

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस का शिकंजा

करोड़ों के लेन-देन का खुलासा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. प्रदेश में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. ग्वालियर और कटनी जिलों में अलग-अलग मामलों में लगभग 13.98 लाख रुपये नगद और संपत्ति जब्त की है.

जांच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े करीब 3.29 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी, पिंटोपार्क स्थित एक मकान पर छापा मारा. यहां तीन व्यक्तियों को मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गयापुलिस ने 4.49 लाख रुपये नगद, तीन लैपटॉप, दस मोबाइल फोन, एटीएम व सिम कार्ड सहित 8.69 लाख रुपये की सामग्री जब्त की।कटनी के माधवनगर क्षेत्र में फर्जी बैंक खातों के जरिए अवैध सट्टा लेन-देन कराने वाले तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.यहां से 5.52 लाख नगद और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन करोंद में आज

भोपाल, 25 फरवरी.खाटू श्याम मित्र मंडल करोंद द्वारा गुरुवार को श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम करोंद चौराहे पर स्थित केनरा बैंक के सामने शाम 6 बजे से शुरू होगा. समिति के अध्यक्ष हरिसिंह ने बताया कि समिति पिछले तीन वर्षों से इस संकीर्तन का आयोजन कर रही है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

डायल-112 कर्मियों ने सीपीआर देकर बचाई युवक की जान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. डायल-112 आपातकालीन सेवा ने एक बार फिर साबित किया है कि यह जीवन बचाने वाली विश्वसनीय सेवा भी है.

देवास जिले में डायल-112 कर्मियों ने समय पर सीपीआर देकर हृदयघात से पीड़ित एक व्यक्ति की जान बचाई. 24 फरवरी को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि थाना टोकखुर्द क्षेत्र के ग्राम कलमा में शर्मा जी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा है. गंभीरता को देखते हुए निकटतम डायल-112 एफआरवी को तत्काल मौके पर रवाना किया गया. मौके पर पहुंचने पर प्रधान आरक्षक राकेश डामोर और पायलट यशवंत पटेल ने व्यक्ति को अचेत अवस्था में पाया.उन्होंने सीपीआर दिया.कुछ मिनटों की लगातार और सटीक प्रक्रिया के बाद व्यक्ति को होश आ गया. उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल देवास पहुंचाया गया.

बैंस और बेलवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की

लोकायुक्त ने 37967 में से 34251 शिकायतें निरस्त कीं, सदन में प्रश्न के जवाब में दी गई जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. लोकायुक्त ने वर्ष 2018-19 जनवरी 2026 तक प्राप्त 37967 शिकायत में से 3716 याने 9.77 फीसदी पर जांच प्रकरण दर्ज किया, वहीं 34251 शिकायत निरस्त कर दी गई.

इसी तरह पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ प्राप्त शिकायत पर मार्च 2025 में जांच प्रकरण पर अपराधिक प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं हुआ है. यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न पर लिखित जानकारी में दी. प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि लोकायुक्त में सबसे ज्यादा शिकायत 2019-20 में 5493 तथा सबसे कम शिकायत 2024-25 में 4183 प्राप्त हुई. 2018 से जनवरी 2026 तक 2041 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये. सबसे ज्यादा 2019 में 378 एवं सबसे कम 2020 में 152 पंजीबद्ध किए गए.

मुख्यमंत्री के बताया कि इकबाल सिंह बैंस तथा ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ प्रकरण में 12 अगस्त 25, 28 नवंबर 25 एवं 5 फरवरी 26 को साक्ष्य एवं जानकारी के लिए पंचायत एवं महिला बाल विकास विभाग से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ तथा कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई.

16 फरवरी 26 को पत्र लिखकर पंचायत विभाग ,महिला बाल विकास विभाग तथा आजिविका मिशन से 13 अप्रैल 26 तक आवश्यक रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है. यहां बता दें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इकबाल सिंह बैंस एवं ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ पोषण आहार में हजारों करोड़ के कथित घोटाले पर जून 2023 में लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिस पर मार्च 2025 में जांच प्रकरण दर्ज किया गया था. लिखित जवाब में यह जानकारी भी दी गई कि लोकायुक्त द्वारा 2024 में पंजीबद्ध 236 अपराधी प्रकरण में से 16 प्रकरण प्राप्त शिकायत पर दर्ज किए गए. जनवरी 2007 की शिकायत पर अगस्त 2024 में 17 साल बाद तथा नवंबर 11 की शिकायत पर जून 2024 में 13 साल बाद अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया.

> वर्ष 2024 में जिन प्रकरणों पर विशेष न्यायालय में पेश 176 चालान में अधिकांश 2012 से 2017 के दर्ज प्रकरण है. औसतन अपराधी प्रकरण दर्ज करने के 4 साल बाद न्यायालय में चालान पेश किए गए. जनवरी2022 से जनवरी 2026 तक 719 प्रकरणों में 462 प्रकरण में आरोपी को दंडित एवं 270 में बरी किया गया. विशेष न्यायालय में 2025 मे कुल 1106 प्रकरण लंबित थे. 31 जनवरी 2026 को 979 अपराधी प्रकरण लोकायुक्त में विवेचना में है तथा विभिन्न विशेष न्यायालय में 1123 प्रकरण लंबित है. वर्ष 2018 से जनवरी 2026 तक पद के दुरुपयोग के संबंध में 236 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए.

वायु प्रदूषण को कम करने पानी का छिड़काव

भोपाल, 25 फरवरी. राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने नगर निगम ने पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है. जिसका कार्य बुधवार को शहर की सड़कों पर देखने को मिला.

इस कार्य के लिए शहर में 3 वॉटर स्प्रीलिंकर्स और 4 ट्रेक्टर माउंट फॉगर मशीनों से लगातार सड़कों पर काफी ऊंचाई तक एवं सड़कों के किनारे पेड़ों आदि पर सुबह एवं शाम पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

निगम द्वारा लिंक रोड नं. 1 व 2, टी.टी.नगर, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, कोहेफिजा, लालघाटी, बैरागढ़, हमीदिया रोड, चार इमली, हबीबगंज, अरेरा कालोनी सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई डीएलसीसी की बैठक

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 25 फरवरी. कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने की.

कलेक्टर ने कहा कि कई बैंकों में लक्ष्य के अनुरूप निराकरण नही किए गए है. जो अत्यन्त ही निराशाजनक है. कलेक्टर ने जो प्रकरण स्वीकृत हो गये उनका वितरण एक सप्ताह के अंदर किए जाने के निर्देश दिए.

वन बल प्रमुख को छ: सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा

भोपाल। राजधानी में स्थित वन मुख्यालय पर वन कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग शाखा के बैनर तले प्रदर्शन किया. प्रदर्शन उपरांत वन बल प्रमुख विजय अंबाडे को छ: सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि प्रदेश में वन कर्मचारियों पर प्राण घातक हमले हो रहे हैं.

23 पशुओं को कांजी हाउस भेजा

भोपाल, 25 फरवरी. नगर निगम के गौवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने बुधवार को शहर में स्वतंत्र विचरण करने वाले 23 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में भेजा. वहीं हाका पार्टी ने 25 पशुओं को सड़कों से हटाते हुए 4 बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय भेजने की कार्यवाही की. यह कार्रवाई शहर के रोहित नगर, बावड़िया कलां, आकृति इको सिटी, नर्मदापुरम रोड, अरेरा हिल्स, विधानसभा, न्यू चौकसे नगर लांबाखेड़ा, करोद चौराहा, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल, भानपुर, अयोध्या बायपास आदि क्षेत्रों में की गई.

आयुष संस्थानों में खुलेंगे तंबाकू त्याग केंद्र

दो लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

नवभारत प्रतिनिधि,

भोपाल, 25 फरवरी. तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत बोर्ड ऑफ आयुर्वेद ने मध्यप्रदेश के आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा संस्थानों में तंबाकू त्याग केंद्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं.

आयोग के सदस्य डॉ. अतुल बी वाष्णेय ने सर्कुलर जारी कर संस्थानों को आवश्यक संसाधन, आधारभूत संरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने को कहा है.निर्देशों के अनुसार ओपीडी स्तर पर भी तंबाकू छोड़ने के लिए परामर्श, जागरूकता गतिविधियां और उपचार संबंधी जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी.साथ ही आयोग ने संस्थानों से अब तक किए गए प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.

आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने इसे जनहित में उठाया गया प्रभावी कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे आयुष संस्थानों की सक्रिय भूमिका से तंबाकू मुक्त समाज के लक्ष्य को गति मिलेगी. बता दें देशभर में संचालित लगभग 650 आयुष कॉलेजों में 2 लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं.तंबाकू त्याग केंद्रों की स्थापना से छात्र, जूनियर डॉक्टर, चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ न केवल स्वयं लाभान्वित होंगे, बल्कि समाज को भी स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

तंबाकू त्याग केंद्र के लाभ

इन केंद्रों में परामर्श, औषधीय सहायता और नियमित फॉलोअप की सुविधा उपलब्ध होगी.इससे कैंसर, हृदय रोग और सांस संबंधी बीमारियों के जोखिम में कमी आएगी.साथ ही तंबाकू मुक्त परिसर से सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनेगा और युवा पीढ़ी में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा मिलेगा.

motilal oswal Home Finance

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल : hfquery@motilaloaswal.com. सीआईएन संख्या : U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित. एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित किया गया है. www.motilaloswalhf.com" पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 30-3-2026/सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिमा राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**LAN: LXGUN00317-180055475** **शाखा :** गुना **ऋणकर्ता :** पंकज कोमल चंद साहू **सह-ऋणकर्ता :** रितु पंकज साहू	15-07-2024 रुपये 930947/- (रु. नौ लाख तीस हजार नौ सौ सैंतालीस मात्र)	पीएच नंबर 14, वार्ड नंबर 24, सर्वे नंबर 43/1, मिन बरखेड़ी रुठियाई, तहसील राघौगढ़, जिला गुना-473226 गुना, मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य :** रुपये 250000/- (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) **ईएमडी :** रुपये 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 29-03-2026

नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी बोली दस्तावेज में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी. बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी एवं सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल- https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और **मनीष कुमार ओमप्रकाश यादव 7045567028, योगेश राजेश मधौरिया- 9630866533, भूपेन्द्र खिची-9372704781** से संपर्क कर सकते हैं. विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं- +91 83709 69696, ई-मेल आईडी- contact@auctionbazaar.com.

एसडी/-

स्थान : मध्य प्रदेश | **प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड**

दिनांक : 26.2.2026 | अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. | **(पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)**

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय- 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) का अधिकृत अधिकारी है और अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पढ़ा जाता है, जारी किया गया अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, निम्नलिखित उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहता है. अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है. मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है :-

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि
1. ज्योति साड़ी सेंटर, 2. ज्योति शर्मा 3. राकेश शर्मा LAN-213020911517932	17 फरवरी, 2026 5/2/2026 को रु. 2353392/- (रु. तेईस लाख तिरेपन हज़ार तीन सौ बानवे मात्र)

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर 40, यह खसरा नं. 32/1, KHA का हिस्सा है, जो गांव-पलासी, P.H. NO. 05, म्युनिसिपल वार्ड नंबर 66, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में है. प्लॉट का कुल एरिया 620 SQ ft है. प्लॉट नंबर 40 की सीमाएं इस तरह हैं- पूरब की तरफ- 15-FT चौड़ी सड़क; पश्चिम की तरफ- प्लॉट नंबर 58; उत्तर की तरफ- प्लॉट नंबर 39; दक्षिण की तरफ- प्लॉट नंबर 41. ऊपर बताए गए प्लॉट का कुल एरिया 20×31=620 SQ. FT. है यानी 57.62 SQ. मीटर.

प्रॉपर्टी नंबर 2- प्लॉट नंबर 58, यह खसरा नंबर 32/1, KHA का हिस्सा है, जो गांव-पलासी, P.H. नंबर 05, म्युनिसिपल वार्ड नंबर 66, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में है. प्लॉट का कुल एरिया 800 SQ. FT है. प्लॉट नंबर 58 की बाउंड्री इस तरह है- पूरब की तरफ- मालिक की प्रॉपर्टी; पश्चिम की तरफ- सड़क; उत्तर की तरफ- दूसरे की प्रॉपर्टी; दक्षिण की तरफ- दूसरे की प्रॉपर्टी. ऊपर बताए गए प्लॉट का कुल एरिया 20 × 40 = 800 SQ. FT है, यानी 74.34 SQ. मीटर.

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा इसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या लेन-देन या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया गया है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान- भोपाल | एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक- 26.02.2026 | **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

NIC एनआईसी National Informatics Centre

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारत सरकार

ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विज्ञापन क्रमांक : एनआईसी/एसटीए/2026/2

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) वेतन स्तर-6 (रु. 35400- रु. 112400) में वैज्ञानिक/ तकनीकी सहायक- 'ए' (समूह 'बी', गैर राजपत्रित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पद) के पद पर सीधी भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है.

2. रिक्तियों की संख्या :- 376 पद

आरक्षण
अनारक्षित- 154
अनुसूचित जाति- 56
अनुसूचित जनजाति- 28
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)- 101
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 37
मानक विकलांगता वाले व्यक्ति (क्षैतिक आरक्षण)- 18*
* इसमें 3 लंबित रिक्तियां शामिल हैं

3. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

डिग्री	क्षेत्र (एकल या संयोजन में)
एमएससी/एमएस/एमसीए/ बीई/ बी.टेक. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है	इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना विज्ञान.

4. वे उम्मीदवार, जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और वर्ष 2024/2025/2026 के लिए वैध GATE स्कोर है, वे निम्नलिखित विषयों में आवेदन करने के पात्र हैं.
(i) कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सीएस)
(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (ईसी) और
(iii) डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (डीए)
5. विस्तृत विज्ञापन एनआईसी की वेबसाइट https://recruitment.nic.in पर गेट- 2026 के परिणाम की घोषणा की तारीख से लगभग 10 दिनों के भीतर उपलब्ध होगा.
6. एनआईसी बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन/ रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
7. कोई भी अतिरिक्त जानकारी/ संशोधन/ परिशिष्ट केवल एनआईसी भर्ती वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा.

सीबीसी-06106/11/0003/2526